

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह आर०ए०एस०

संख्या :- 288/2024

शुद्धी खाते निवासी - गुन्डली खेत त० करेडा भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

शुद्धी खाते निवासी गुन्डली खेत त० करेडा भीलवाडा वर्ग १०
विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 05/11/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत
दिन किया कि ग्राम गुन्डली खेत पटवार हल्का ~~अन्या~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त
खाता संख्या..... ~~20 आ० नं. 25 रकबा 0.0126~~
~~21 आ० नं. 17 रकबा 0.0253, खाता संख्या 63 आ० नं. 88~~
~~0.0253 खाता संख्या 93 के आ० नं. 100, 109/1, 20/1, 21/1, 21/2, 22,~~
~~26/1, 27/1, 46/1, 53, 54/1, 57, 98~~ 15 रकबा 4.6664, हैक्टयर भूमि
वादाग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की
ही के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27/8/2024 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अर्थ से यह बात सिद्ध है कि वादाग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी
का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते
वर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुन्डली खेत
पटवार हल्का ~~अन्या~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या
आराजी नम्बर ~~खाता सं. 20, आ० नं. 25 रकबा 0.0126, खाता सं. 21, आ० नं. 17 रकबा 0.0253,~~
~~खाता सं. 63 आ० नं. 88 रकबा 0.0253, खाता संख्या 93 के आ० नं. 100, 109/1, 20/1,~~
~~21, 22, 23, 24/1, 26/1, 27/1, 46/1, 53, कुल मिलाकर 15 रकबा 4.6664 हैक्टयर~~ भूमि
दोनों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक
को 2200/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
की यथार्थिथिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल
होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

107
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
जिला भीलवाडा

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

107
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
जिला भीलवाडा